

अनविराय परविरतनीय डबिंचर

स्रोत: पी.आई.बी.

भारतीय प्रतसिप्रदधा आयोग (Competition Commission of India- CCI) ने **अंतर्राष्ट्रीय वतित नगिम (International Finance Corporation- IFC)** द्वारा नेपनी ऑटो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लमिटेड के अनविराय परविरतनीय डबिंचर (**Compulsory Convertible Debentures-CCD**) को खरीदने की मंजुरी दे दी है।

- एक बॉण्ड जसै परपिक्वता पर अथवा वशिष्ट शर्तों के तहत **इकवटी** में परविरतति कया जाना है, एक अनविराय परविरतनीय डबिंचर (**Compulsory Convertible Debenture- CCS**) के रूप में जाना जाता है। यह ऋण और इकवटी वाली सुवधियों से लैस होता है।
 - **वैकल्पिक परविरतनीय डबिंचरों** के मामले में जहाँ निवाशक के पास परविरतति करने का वकिल्प होता है, उसके वापिरीत यहाँ रूपांतरण अनविराय है।
- **स्टार्टअप** और विकास-चरण (जब वयवसाय लाभ कमाना शुरू कर दे) वाले वयवसाय, जनिहें वसितार के लिये **पूँजी** की आवश्यकता होती है, लेकिन ये **इकवटी** छोड़ने के लिये तैयार नहीं होते हैं, वे अक्सर CCD का उपयोग करते हैं।
- **IFC** एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1956 में **नजी कषेत्र के विकास** को बढ़ावा देकर अपने विकासशील सदस्य देशों में आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिये की गई थी।
 - यह **विश्व बैंक समूह** का सदस्य है।
- **भारतीय प्रतसिप्रदधा आयोग (Competition Commission of India- CCI)** भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है जो प्रतसिप्रदधा अधिनियम, 2002 को लागू करने के लिये ज़मिमेदार है, जिसका विधिवित गठन मार्च 2009 में किया गया था।

और पढ़े: [भारतीय प्रतसिप्रदधा आयोग \(CCI\)](#)